314/2024

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिकियात जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.12.24	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी विपक्षी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसी सूरत में विपक्षी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। तत्पश्चात वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील बहस प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का विवादित आराजी में हक हकूक निहित है। प्रार्थीगण के चारों पुत्रों का बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा निहित था। तत्पश्चात [illegible] रेवेन्यू रिकार्ड [illegible]। तत्पश्चात संवत 2029 से 2032 की चौसाला जमाबंदी खाते [illegible] तत्कालीन [illegible] पटवारी से विपक्षी द्वारा [illegible] 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा दर्ज करवा दिया गया, जबकि [illegible] नहीं है। लेकिन अवैध विपक्षी [illegible] प्रविष्टि के आधार पर विपक्षी विवादित आराजी को बेचान करने पर उतारू है। यदि इनको [illegible] तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अंत में निवेदन किया कि विवादित आराजी की यथास्थिति बनाए रखने का [illegible] एवं [illegible] आदेश फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड अवलोकन से प्रतीत होता है कि पक्षकारान के हिस्सों को लेकर विवाद है।	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	अहलकार ... की तारीख ...
	लेकिन इसका निस्तारण मूलवाद में नाकद सबूतो के आधार पर तय होगा कि किसो का रिकॉर्ड में इन्द्राज/कब्जा नहीं हुआ थी अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में अब अशुद्ध प्रविष्टि के आधार पर विपक्षी द्वारा रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द करने अथवा मौका स्थिति में फेरबदल हो जाता है, तो पक्षकारान के मध्य विवाद आगे और बढेगा तथा प्रकरण को निस्तारण करने में भी कठिनाई आएगी। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कीया जाकर ग्राम पतासर तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 107, 108, 80, 81, 82, 89, 94, 95 व 96 कुल तादादी 77.6995 हैक्टयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 05 को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु, स्थगन आदेश से मूलवाद के निर्णय तक पाबंद कीया जाता है। शेष खातेदारान पर स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	